

भाग - II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

7. परियोजना/स्कीम का स्थान

- (i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र
- (ii) ज़िला
- (iii) वन प्रभाग
- (iv) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)
- (v) वन की कानूनी स्थिति
- (vi) हरियाली का घनत्व
- (vii) प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिणामना (संलग्न की जाए)।
सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ0आर0एल0, एफ0आर0एल0-2 मीटर पर परिणाम और एफ0आर0एल0 मीटर भी संलग्न किए जाए
- (viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी
- (ix) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी
- (x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, बन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर, आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख बन्यजीव वार्डन की टिप्पणीयाँ अनुबंधित की जाए)
- (xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुलभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा दे।
- पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 765 के0वी0 द्विपक्षीय लिलो सतना-ग्वालियर विद्युत पारेषण लाइन
- उत्तर प्रदेश
- झाँसी
- झाँसी वन प्रभाग, झाँसी 0.1742 है।
- संरक्षित वनभूमि
- 0.20 - 0.30
- संलग्न है
- भूक्षरण के लिए संवेदनशील नहीं है।
- शून्य
- प्रस्तावित वन भूमि, बन्य जीव अभ्यारण जैव मण्डल बाघ रिजर्व हाथी कारीडोर का भाग नहीं है
- नहीं है

- (xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दे ।
8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, जो जांचे गये विकल्पी के ब्यौरे के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है
9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है हाँ/नहीं यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।
10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा
- (i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अधिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्षमित वनक्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों का आकार
 - (ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्षमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप
 - (iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयक एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि
 - (iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय
 - (v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण के सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
- नहीं है
- प्रस्तावित संरक्षित वनभूमि अपरिहार्य एवं न्यूनतम है
- नहीं है
- संलग्न है
- प्रतिपूरक वृक्षारोपण 0.35 है 0 दुगने अवनत वनभूमि पर किया जा रहा है भूखण्ड की सं0-1
- संलग्न है
- शीशम, नीम, सिरस, सागौन आदि प्रजातियाँ गड़दा में रोपित की जायेगी
- 0.76727 रु0
(छियेतर हजार सात सौ सत्ताइस रु0)
- संलग्न है

11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए संलग्न करो।	- संलग्न है
12	विभाग/जिला प्रोफाईल	
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	- 5054 वर्ग किमी0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	- 33422.920 है0
(iii)	मामलों की सं0 सहित 1980 से बनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	- 13 (तेरह) क्षेत्रफल-188.23732 है0
(iv)	1980 से जिला/प्रभागों में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	
	(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	- 98.099 है0
	(ख) बनेतर भूमि पर	-
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	
	(क) वन भूमि पर	- 94.03 है0
	(ख) बनेतर भूमि पर	- 734.209 है0
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने हेतु संस्तुति की जाती है

तिथि - 22.03.2017

स्थान - झांसी

हस्ताक्षर :

नाम : डॉ मनोज कुमार शुक्ला

सरकारी मोहर: प्रभागीय वनाधिकारी,
भौपी वन प्रभाग, झांसी,